जिला सहकारी बैंक लि० गाजियाबाद

सोलर उपकरण हेतु ऋण आवेदन पत्र

शाखा प्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद
शाखा – ....
जनपद – गाजियाबाद

शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित फोटो (मोहर दिनांक सहित)

महोदय,

निवेदन है कि मैं सोलर उपकरण हेतु दिये जाने वाले ऋंण योजनान्तर्गत आपकी शाखा से ऋण लेना चाहता/चाहती हूँ। उक्त सोलर उपकरण क्रय हेतु अंकन .... रू0 की आवश्यकता है। कृपया अंकन .... रू0 का ऋण स्वीकृत करने का कष्ट करें। मैं मार्जिन मनी की धनराशि स्वयं लगाऊंगा/लगाऊंगी। इस हेतु मैं अपना आवेदन पत्र निम्न सूचनाओं के साथ प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

1. आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक की आयु : .... जन्म तिथि : ....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
4. आवेदक की शैक्षिक योग्यता : ....
5. परिवार का आकार : .... वयस्क .... बच्चे .... कुल ....
6. आवेदक का पूरा पता (स्थायी) : ....
....
....
फोन नं0/मोबा0नं0 ....
7. आवेदक का पूरा पता (अस्थायी) ....
....
....
8. आवेदक का व्यवसाय : कृषि/नौकरी/मजदूरी/व्यापार
9. ऋण द्वारा लगायी जाने वाली यूनिट का विवरण :
   (a)यूनिट/उपकरण का मॉडल नं0 : ....
   (b)यूनिट/उपकरण का कुल क्रय मूल्य अंकनः.... ....
   (c)ऋण की धनराशि : ....
   (d)स्वयं द्वारा वहन की जाने वाली धनराशिः ....
10. आवेदक कर्ता यदि कृषक/समिति का सदस्य है तब भूमि जोत का विवरण (यदि पट्टा धारक/बटाईदार है तो उसका उल्लेख करें) भूमि अभिलेख की प्रतियां प्रस्तुत करें।

गांव	सर्वेक्षण संख्या ब्लॉक संख्या	टाईटिल			क्षेत्रफल (एकड में)/भूमि का मूल्य	कॉलम संख्या 8 में से सिंचित क्षेत्रफल	सिंचन का श्रोत	यदि कोई ऋण_भार हो तो ब्यौरा दें
		स्वयं का	लीज पर लिया हुआ	शेयर क्रॉपर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. यदि पूर्व में किसी अन्य संस्था/बैंक से ऋण लिया गया है तो विवरण :

(a) ऋण की धनराशि : ....

(b) बकाया धनराशि यदि कोई हो : ....

(c) संस्था का नाम : ....

12. दो संभ्रान्त व्यक्तियों की जमानत का विवरण जो उसी क्षेत्र के स्थायी निवासी हों तथा जिनके पास चल/अचल सम्पत्ति हो :–

1. जमानतदार का नाम .... हस्ताक्षर ....

पिता/पति का नाम ....

पूरा पता ....

....

व्यवसाय ....

चल/अचल सम्पत्ति का पूरा विवरण ....

2. जमानतदार का नाम .... हस्ताक्षर ....

पिता/पति का नाम ....

पूरा पता ....

....

व्यवसाय ....

चल/अचल सम्पत्ति का पूरा विवरण. ....

उपरोक्त विवरण को आवश्यक संलग्नकों के साथ उपलब्ध कराते हुए निम्न वचन देता/देती हूँ कि –

1. यह कि मैने बैंक के वर्तमान नियम व उपविधियों तथा ऋण सम्बन्धी नियमों को समझ लिया है और मुझे मान्य हैं एवं भविष्य में इसमें जो भी संशोधन होंगे वह भी मुझे मान्य होंगे।
2. यह कि बैंक से लिये गये ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जायेगा जिस उद्देश्य हेतु स्वीकृत किया गया है।
3. यह कि बैंक द्वारा निर्धारित किश्त की धनराशि नियमित रूप से ऋण चुकता होने तक समयान्तर्गत अदा की जाती रहेगी। यदि मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक को अधिकार होगा कि नाबार्ड से मिलने वाले अनुदान की धनराशि नाबार्ड को वापिस कर दें तथा बैंक द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण एकमुश्त वसूल कर लिया जाये।
4. बैंक ऋण से सृजित सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार बैंक का होगा।
5. बैंक के ऋण से जो यूनिट कय किया जायेगा, उसका बीमा आवेदनकर्ता एवं बैंक के पक्ष में संयुक्त रूप से कराया जायेगा यदि आवेदनकर्ता यूनिट का बीमा नहीं कराता है तो बैंक को अधिकार होगा कि वह आवेदनकर्ता के खाता को डेबिट कर बीमा करा लें।
6. बैंक द्वारा जो भी समय–समय पर ब्याज दरें एवं नियम लागू किये जायेगें वे मुझे मान्य होंगे।
7. मेरे द्वारा जब तक ऋण पूर्ण रूप से अदा नहीं होता है तो मेरी यूनिट पर बैंक का प्रभार रहेगा।
8. यह कि नाबार्ड द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि की बैंक द्वारा बनाई जाने वाले एफ0डी0आर0 के लिए सहमति प्रदान की जाती है।
9. यह कि मेरे यदि अपने निवास स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बैंक को अवगत कराऊंगा।
10. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिया गया विवरण सहीं एंव पूर्णतः सत्य हैं कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो बैंक द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण एकमुश्त वसूल कर लिया जाये।
11. ऋण की पूर्ण अदायगी तक ऋणी द्वारा कय किय गये उपकरण को बेचा या नष्ट नहीं किया जायेगा।

दिनांक : ....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर ....

आवेदनकर्ता का नाम ....

स्थायी पता : ....

....

....

मोबा0नं0– ....

शाखा प्रबन्धक/अधिकृत कर्मचारी द्वारा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व दी जाने वाली निरीक्षण/स्थलीय आख्या :

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री .... द्वारा सोलर उपकरण हेतु दिये जाने वाले ऋण योजनान्तर्गत बैंक को प्रस्तुत किये गये ऋण प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों की जांच मौहल्ला/ग्राम .... में स्थानीय स्तर पर उपस्थित होकर की गयी तथा आवेदनकर्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी/विवरण प्राप्त हुआ है।

1. आवेदनकर्ता का वर्तमान पता : ....
2. आवेदनकर्ता का स्थायी पता : ....
3. आवेदनकर्ता के निवास स्थल का भौतिक स्थिति :

   मकान : कच्चा/पक्का   घर में कमरों की संख्या ....

4. निवास स्थान का स्थानीय निरीक्षण :

   पूरब : ....   पश्चिम : ....

   उत्तर : ....   दक्षिण : ....

5. आवेदनकर्ता की सामान्य ख्याति : ....

   (ऋण वापिस करने की प्रतिदान क्षमता रखता है अथवा नहीं)
6. यूनिट/उपकरण लगाने हेतु स्थल उपयुक्त है अथवा नहीं : ....
7. अपेक्षित ऋण की धनराशि : ....

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण सही पाया गया है तथा आवेदनकर्ता के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी को दृष्टिगत रखते हुए श्री .... को मु0 .... शब्दो में .... सोलर यूनिट/उपकरण हेतु दिये जाने वाले ऋण को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

शाखा प्रबन्धक/अधिकृत कर्मचारी
नाम : ....

सोलर उपकरण संयोजन उपरांत शाखा प्रबन्धक द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक .... को ऋणी के यहां लगे सोलर यूनिट/उपकरण स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें .... द्वारा संयोजित सोलर यूनिट/उपकरण नं0 .... सही प्रकार से कार्य कर रहा है।

शाखा प्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि० गाजियाबाद
शाखा – ....

मांग वचन पत्र

रू0 ....

मांग किये जाने पर मैं .... आत्मज श्री ....

निवासी ....

वचन देता हूँ कि जिला सहकारी बैंक लि0, शाखा .... से

ली गयी ऋण की धनराशि रू0 .... (शब्दों में रू0 ....)

तथा उस पर देय .... प्रतिशत वार्षिक की दर से मासिक त्रैमासिक/

अर्द्धवार्षिक ब्याज एवं दण्ड ब्याज यदि कोई हो, सहित भुगतान करूंगा।

ऋण प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी

स्थान ....

दिनांक ....

पूरा पता ....

राजस्व
टिकट

लेटर ऑफ कन्टीन्यूटी

दिनांक .... माह .... 2014 को जिला सहकारी बैंक लि0 .... शाखा ने मुझे सोलर यूनिट/उपकरण मॉडल नं0 .... खरीदने हेतु रू0 .... (शब्दों में रू0 .... मात्र) 3/5 वर्षीय मध्यकालीन ऋण दिया गया है, जिसके नियम मुझे मान्य हैं। उपर्युक्त दिये गये ऋण के प्रतिफल में मैने अपने हस्ताक्षर करके रूपये .... का वचन पत्र बैंक को दे दिया है।

मैं इसके द्वारा अपनी सहमति प्रकट करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि रूपये .... का मांग वचन पत्र उन समस्त रकमों के लिए जो देय हैं और जो इसके पश्चात किसी भी समय किसी कारण से देय रकत बैंक को लेना निकलती हो तो वह ऋण पर ही अविच्छिन्न जमानत के रूप में माना जायेगा तथा उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

ऋण प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी

स्थान ....

दिनांक ....

पूरा नाम व पता ....

....

साक्षी (1) ....

नाम : ....

पता : ....

....

(2) ....

नाम : ....

....

पता : ....

....

....

प्रमाणित/अभिलेखित किया।

....

शाखा प्रबन्धक

जिला सहकारी बैंक लि०

शाखा – ....

सोलर उपकरण विकेता फर्म को भुगतान करने हेतु ऋणी का अनुरोध पत्र

शाखा प्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि० गाजियाबाद
शाखा – ....
....
जनपद – गाजियाबाद

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक ....दिनांक .... का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुझे/हमें मु0 .... (शब्दों में रू0 .... मात्र) का सोलर यूनिट/उपकरण हेतु ऋण (नाम व मॉडल) .... स्वीकृत करने के बारे में सूचित किया गया है। सोलर यूनिट/उपकरण/कम्पनी एन्ड्रोमेडा द्वारा संलग्न पत्रांक .... दिनांक .... द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त यूनिट की डिलीवरी और यूनिट/उपकरण का संयोजन उनके द्वारा दिनांक .... को कर दियां है। जो सही प्रकार से कार्य कर रहा है।

अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा बैंक में जमा मार्जिन मु0 .... रूपया तथा बैंक द्वारा सोलर यूनिट/उपकरण क्रय करने हेतु स्वीकृत ऋण मु0 .... रू0 को सम्मिलित करते हुए मु0 .... (शब्दों में रू0 .... मात्र) रूपया का चैक/ड्राफ्ट सोलर यूनिट/उपकरण डीलर फर्म .... के नाम को निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

दिनांक ....

ऋणी के हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता का नाम ....
पता ....
....

जिला सहकारी बैंक लि० गाजियाबाद

(100.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

आवेदक/ऋणी के साथ बैंक का टर्म लोन एग्रीमेन्ट

यह टर्म लोन एग्रीमेन्ट दिनांक .... को श्री .... पति/पत्नी श्री .... पता .... जिसे आगे ऋणी कहा गया है और यह उसके सभी विधिक उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, निष्पादक अथवा ऋणी के तरफ से अधिकार प्राप्त है एवं जिला सहकारी बैंक लि0, शाखा .... जो कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ0प्र0 अधिनियम सं0 11, 1966 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सहकारी समिति है एवं जिसका मुख्य कार्यालय मोतीबाग, में स्थित है, जिसे आगे बैंक कहा जायेगा, के प्रतिनिधि (पद स्थानी/अधिकृत प्रतिनिधि) के मध्य सम्पादित हुआ।

ऋणी द्वारा बैंक की सोलर यूनिट ऋण योजना के अंतर्गत अंकन .... शब्दों में .... ऋण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। ऋणी द्वारा उपलब्ध करांई गयी सूचनाओं प्रस्तुत गारन्टरों की गारन्टी के परिप्रेक्ष्य में ऋणी को अंकन .... सोलर यूनिट हेतु ऋण स्वीकृति पर बैंक द्वारा सहमति व्यक्त गयी।

<u>ऋण स्वीकृति के संदर्भ में ऋणी एवं बैंक के मध्य निम्न बिन्दुओं पर एग्रीमेन्ट हुआ–</u>

1. बैंक ऋणी को अंकन .... (शब्दों में ....) का टर्म ऋण देगा एवं ऋणी बैंक के निर्देशानुसार मासिक किश्त की धनराशि मासिक रूप से ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी तक, बैंक में जमा करायेगा।
2. बैंक द्वारा ऋणी से .... प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा। ब्याज की गणना मासिक आधार पर करते हुए, ऋणी के ऋण खाते में डेबिट की जायेगी।
3. मासिक किश्त की समय से अदायगी न होने की स्थिति में बकाये की धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज बैंक द्वारा ऋणी से वसूल किया जायेगा।
4. ऋणी से वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक/शीर्ष बैंक/बैंक के निर्देशों के अधीन परिवर्तनीय है, जो ऋणी को मान्य होगी।
5. यदि ऋणी द्वारा गलत सूचनाओं, तथ्यों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया गया है अथवा ऋणी द्वारा समय से निर्धारित मासिक किश्तों की धनराशि बैंक में जमा नहीं कराई जाती है अथवा ऋणी अनुबन्ध की किसी धारा का उल्लंघन किया जाता है, तो बैंक को अधिकार होगा कि वह ऋणी से अवशेष ऋण की धनराशि ब्याज एवं अन्य देयताओं सहित एकमुश्त वसूल कर लें।
6. यदि ऋणी द्वारा समय से निर्धारित मासिक किश्त की अदायगी नहीं की जाती है, तो बैंक को उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत वसूली करने का अधिकार होगा। जिसमें ऋणी द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
7. ऋणी द्वारा मासिक किश्त की धनराशि उसी बैंक शाखा में जमा कराई जायेगी, जिस बैंक शाखा से ऋणी द्वारा ऋण लिया गया है।
8. यदि बैंक द्वारा अपनी पॉलिसी के अंतर्गत ऋणी से प्रासंगिक व्यय वसूलने का निर्णय लिया जाता है तो वह बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के वसूला जा सकता है। जिस पर ऋणी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

9. यदि किन्ही कारणोंवश ऋणी को नौकरी छोडनी पडती है या नौकरी से त्याग पत्र दिया जाता है अथवा नियोक्ता द्वारा सेवाच्युत किया जाता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऋणी को प्राप्त होने वाली आस्तियों जैसे बोनस, उपार्जित अवकाश, बीमा आदि से अवशेष ऋण की दण्ड ब्याज सहित वसूली कर लें। यदि बैंक ऋणी को दिये गये सोलर यूनिट ऋण की वसूली उपरोक्त मदों से भी नहीं कर पाता है तो बैंक को पूर्ण अधिकार होगा वह ऋणी के कानूनी उत्तराधिकारियों एवं ऋणी की चल–अचल सम्पत्ति से इसकी वसूली कर लें।

10. बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली हेतु जो भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी, कानूनी कार्यवाही में आये हर्जे–खर्चे की पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी।

11. यदि ऋणी द्वारा स्थानीय पते में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी पूर्ण सूचना तुरंत बैंक शाखा कार्यालय को प्राप्त कराई जायेगी।

12. करार दिया जाता है कि इसमें किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और ऋण के प्रति संदाय के लिए नियत किश्तों की तारीखों के प्रति संदाय के लिए नियत तारीख होते हुए भी बैंक लिखित रूप से सूचना द्वारा मांग करने, और अपने एक मात्र विवेकानुसार सम्पूर्ण बकाया रकम और उस ब्याज और अन्य प्रभार प्रतिभूतियों को प्रवत्त कराकर वसूल करने या अन्य रीति से जो बैंक उचित समझे वसूल करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

13. ऋणी करार करता है कि यदि बैंक की राय में ऋणी के लिए उसके द्वारा करार पाये गये अनुसार ऋण का प्रतिसंदाय (Repayment) करना कठिन है तो बैंक को सवितरण और/या प्रतिसंदाय (Repayment) के कार्यक्रम को पुनः चरणवद्ध करने से कोई बात प्रतिसिद्ध (Prohibited) नहीं करेगी और सवितरण या प्रतिसंदाय (Repayment) का कार्यक्रम जो बैंक द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और वह ऋणी को सूचिंत किया जायेगा। वह ऋणी और गारन्टर पर आवद्ध कारी होगा और इसे, इस करार में सम्मिलित समझा जायेगा।

14. ऋणी बैंक को अपनी सहमति देता है कि बैंक द्वारा ऋण आवेदन पत्र के अनुसार उससे सम्बन्धित सूचना और आंकडे उसके द्वारा ली गयी/ली जाने वाली किसी उधार सुविधा सम्बन्धित सूचना या आंकडे और उसकी ऐसी बाध्यता के निर्वाहन में उसके द्वारा किया गया व्यतिकम (Default) को प्रकट करने हेतु, जिसे बैंक उचित समझता हो, बैंक प्रकट कर सकता है।

15. ऋणी बैंक के समक्ष यह घोषणा करता है कि बैंक से सोलर यूनिट हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु ऋणी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अथवा संलग्नकों के माध्यम से जो भी सूचना और आंकडे बैंक को दिये गये हैं वे सभी सत्य एवं सही हैं।

हस्ताक्षर ऋणी

साक्षी

नाम ....

नाम ....

पता ....

पता ....

हस्ताक्षर

शाखा प्रबन्धक

शाखा ....

जिला सहकारी बैंक लि० गाजियाबाद

(100.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

ऋण गारन्टी करार

यह गारन्टी करार .... (स्थान) पर दिनांक .... को प्रथम पक्ष श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ....(प्रथम गारन्टर) श्री .... पुत्र श्री ....निवासी ....(द्वितीय गारन्टर) (जिन्हें आगे गारन्टी कर्ता कहा गया है) जिसे अभिव्यक्ति में अनुकूल हों पर उसके वारिस/उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक तथा समानुदेशी और अभिप्रेत होंगे तथा द्वितीय पक्षकार के रूप में जिला सहकारी बैंक लि0 शाखा .... जो उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, के अधीन निबन्धित सहकारी समिति है और जिसका प्रधान कार्यालय मोतीबाग, में है। (जिसे आगे बैंक कहा गया है, के प्रतिनिधि, पद स्थानी/अधिकृत प्रतिनिधि के मध्य सम्पादित हुआ)

उपरोक्त गारन्टी कर्ताओं के अनुरोध पर जिला सहकारी बैंक. लि0 शाखा .... द्वारा श्री .... पुत्र श्री ....निवासी ....जिसे आगे ऋणीकर्ता कहा गया है, को व्यक्तिगत सोलर यूनिट/उपकरण ऋण अंकन .... (शब्दों में ....) देने को सहमत है।

अतः अब यह करार इस बात का साक्षी है कि गारन्टी कर्ता (ओ) के अनुरोध पर बैंक द्वारा ऋणी को दिये जाने वाले व्यक्तिगत सोलर यूनिट ऋण को मंजूरी दिये जाने के प्रति फलस्वरूप, गारन्टी गर्ता एतद् द्वारा बैंक के साथ निम्नलिखित करार करते/करती हैं।

1. गारन्टी कर्ता एतद् द्वारा संयुक्त तथा पृथक रूप से गारन्टी देता है/देते हैं कि वे बैंक द्वारा लिखित में मांग किये जाने पर उसे उक्त ऋणी के सम्बन्ध में दिये गये व्यक्तिगत ऋण खाते में (जिन्हे आगे सोलर यूनिट ऋणी कहा गया है) ऋणकर्ता की ओर से बैंक को उस समय देय तथा किसी भी समय देय होने वाले भुगतान की तारीख तक के मूलधन की राशि, ब्याज खर्चों तथा सभी हानियों तथा क्षतियों, खर्चों, व्ययों तथा कानूनी खर्चों के मामले में मुवक्किल के रूप में बैंक पर पडने वाले अटर्नी के खर्च जो ऐसे मामले में ऋणीकर्ता की अस्थायी अथवा अन्य त्रुटि या भूल चूक के कारण बैंक पर पडे हों या जिनमें (उपर्युक्त के अनुसार) मुकदमा द्वारा या अन्यथा अथवा उक्त ऋणग्रस्तव्य या किसी भी रूप में अन्यथा किसी भी प्रतिभूति के प्रवर्तन या प्रयावित प्रवर्तन या वसूली द्वारा भुगताम खर्चे अथवा बैंक द्वारा वहन किये गये कोई खर्चे (जो कि उपर्युक्त के अनुसार होंगे) या व्यय जिन्हें कि बैंक को ऐसी किन्ही भी प्रतिभूति या उनसे प्राप्त किन्ही भी राशियों के सम्बन्ध में अन्य के साथ या बिना किसी भी ऐसी कार्यवाही में संयोजित होने के कारण जिससे कि बैंक को पार्टी बनाया जाये। या जिसका वह स्वयं पार्टी बने शामिल होंगे या भुगतान करेगा/करेंगे।
2. गारन्टीकर्ता एतद् द्वारा घोषणा करता/करते हैं कि यह गारन्टी एक सतत गारन्टी होगी तथा व्यक्तिगत सोलर यूनिट ऋण के सम्बन्ध में अलग-अलग रूप से चालू रहेगी और बैंक अपने विवेक से उसे इस प्रकार परिवर्तित कर सकता है मानों गारन्टीकर्ता (ओं) ऋणी के व्यक्तिगत ऋण के लिए अलग-अलग गारन्टी दी हो। किसी भी समय अथवा समय-समय पर उक्त खातों में से किसी एक में भी ऋणकर्ता (ओं) के विरूद्ध कोई देयता न होने या खाते में उनके पक्ष में जमा शेष होने की स्थिति के कारण गारन्टी को रद्द अथवा किसी भी रूप में प्रभावित हुई नहीं समझा जायेगा और यह गारन्टी खातों के बन्द होने तक,बाद के सभी लेन-देनों के सम्बन्ध में जारी तथा चालू रहेगी।
3. गारन्टीकर्ता (ओं) एतद् द्वारा सहमत है/हैं कि बैंक उसे/उन्हें बताये अथवा कोई नोटिस दिये बिना ऋणकर्ता के साथ संविदा की शर्तों में कोई भी ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे और इसमें खाते पर लागू ब्याज की दर में परिवर्तन करना भी शामिल है। गारन्टीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि बैंक चाहे तो किसी भी किस्म की अतिरिक्त सामपाश्विक प्रतिभूति स्वीकार कर सकता है ऋणकर्ता को दिये गये किसी ऋण का अवधारण कर सकता है, उसे बढा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा उसके/साथ कोई समझौता कर सकता है अथवा उसे/उन्हें समय देने या उस/उन पर मुकदमा न करने का वचन दे सकता है और बैंक गारन्टीगण ऋण के

लिये रखी गयी किसी भी प्रतिभूति को छोड सकता है। गारन्टीकर्ता इस बात से भी सहमत है कि बैंक द्वारा ऋणकर्ता को उनकी देयता से मुक्त कर देने अथवा बैंक के किसी भी ऐसे कार्य के कारण जो कि इस उपबन्ध के न होने की स्थिति में, गारन्टीकर्ता के रूप में उसके/उनके अधिकारों के विपरीत हों अथवा बैंक द्वारा कोई ऐसा कार्य न करने के कारण जिसे कि इस उपबन्ध के न होने की स्थिति में बैंक के कर्तव्यों के अनुसार बैंक के लिये करना अपेक्षित होगा, गारन्टीकर्ता अपनी देयताओं से दायित्व–मुक्त नहीं होगा/होंगे। गारन्टीकर्ता (ओं) द्वारा संविदा के उपबन्धों में किये गये किसी भी परिवर्तन के कानूनी परिणामों में लाभों तथा भारतीय संविदा के अधिनियम की धारा 133 , 134 , 135 और 141 द्वारा गारन्टीकर्ता को प्रदत्त किन्ही भी अधिकारों का दावा करने का/के हकदार नहीं होगा/होंगे। गारन्टीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि बैंक द्वारा कोई भी अनियमित अथवा सहमत किश्त (तों) की राशि का भुगतान स्वीकार कर लिये जाने के कारण, चाहे वह भुगतान ऋणकर्ता द्वारा देय तिथि को या उससे पहले या उसके बाद में किया गया हो, गारन्टीकर्ता अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जायेगा/जायेंगे और इस तरह की स्वीकृति कोई नई अथवा ताजी संविदा के न तो समान होगी और न उसका निर्माण करेगी। गारन्टीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि ऋणकर्ता (ओं) द्वारा किसी भी समय अथवा समय–समय पर की गयी किन्ही भी चूकों के सम्बन्ध में बैंक उसे/उन्हें सूचित करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

4. गारन्टीकर्ता यह भी घोषणा करता है/करते हैं कि बैंक द्वारा ऋणकर्ता अथवा उसके/उनके प्रति उत्तरदायी अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा उसके उनके प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी लाभांशों समझौता राशियों या भुगतानों को सकल राशि के भुगतान के रूप में माना और प्रयुक्त किया जायेगा और गारन्टीकर्ता तथा उसके/उनके प्रतिनिधियों को किसी भी ऐसे लाभांशों, समझौता राशियों या भुगतान के लाभ के लिए तब तक दावा करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऋणकर्ता अथवा उसके/उनके प्रतिनिधियों के विरूद्ध बैं की इस गारन्टी के अन्तर्गत आने वाली पूरी राशि के सभी ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता।
5. बैंक द्वारा ऋणकर्ता को ऋण सीमा, अग्रिम ओवरड्राफ्ट अथवा अन्य ऋण सुविधायें दिये जाने अथवा उससे/उनके कोई अन्य गारन्टी या प्रतिभूति प्रभाव पडेगा और न ही वह कम होगी।
6. गारन्टीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि बैंक तथा ऋणकर्ता के बीच निपटाये गये कोई भी खाते अथवा उसके/उनके प्राधिकृत एजेन्टों द्वारा स्वीकृत या पुष्टिकृत, उक्त खातों में बैंक को देय राशियां निर्णायक होंगी और गारन्टीकर्ता (ओं) द्वारा उनके सम्बन्ध में कोई विवाद अथवा प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।
7. गारन्टीकर्ता, ऋणकर्ता अथवा उसके/उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को खाते के परिचालन तथा प्रत्येक सह–गारन्टीकर्ता को , उसकी/उनकी ओर से गारन्टीकर्ता के रूप में समय–समय पर देय राशि की पुष्टि करने तथा देय अभिस्वीकृति देने के लिए एजेन्ट के रूप में प्राधिकृत और नियुक्त करता/करते हैं गारन्टीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि ऋणकर्ता की ओर से एजेन्ट के रूप में किसी/किन्हीं भी सह–गारन्टीकर्ताओं द्वारा दी गयी किसी भी देयता की अभिस्वीकृति, ऋण परिसीमा को नये सिरे से आरम्भ करने तथा उसके/उनके विरूद्ध देयता की स्वीकृति के लिए उस/उन पर बाध्यकारी होगी।
8. यदि ऋणकर्ता बैंक को गारन्टीकर्ता (ओं) द्वारा गारन्टीकृत राशि का भुगतान कर देता है/देते हैं और उसके परिणामस्वरूप बैंक गारन्टीकर्ता (ओं) को इस गारन्टी के अन्तर्गत सभी देयताओं से दायित्वमुक्त कर देता है, लेकिन बाद में न्यायालय द्वारा अथवा यह अवधारित किया जाता है कि उक्त भुगतान कपटपूर्ण अधिमान के आधार पर किया गया है तथा बैंक को उक्त राशि लौटानी पडती है, तो ऐसी स्थिति में इस गारन्टी के आधार पर बैंक के प्रति गारन्टीकर्ता (ओं) की देयता उसी सीमा तथा उसी तरह फिर लागू हो जायेगी मानो वह भुगतान कभी किया ही न गया हो।
9. गारन्टीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं बैंक अपने पास ग्रहणाधिकार, दृष्टिबन्धक, गिरवी अथवा बन्धक के रूप में रखी प्रतिभूतियों में से किसी भी प्रतिभूति को प्रवर्तित किये, बेचे अथवा उगाहे बिना ही ऋणकर्ता (ओं) द्वारा उक्त खाते में दिये गये किन्ही भी बिलों या अन्य लिखतों के वसूली के लिए परिचालन में और बकाया होने के बावजूद इस गारन्टीकर्ता को प्रवर्तित कर सकता है।
10. इस गारन्टी के अन्तर्गत जब तक कोई राशि ऋण के रूप में बकाया रहती है, तब तक गारन्टीकर्ता (ओं) में से भी सम्बन्धित किन्ही भी प्रतिभूतियों पर बैंक ग्रहणाधिकार है तथा बैंक को उसे विनियोजित/समायोजित/वसूल करने का अधिकार होगा।

11. ऋणकर्ता की ओर से ऋण शक्तियों में किसी अभाव अथवा शिथिलता अथवा उन शक्तियों के प्रयोग में किसी भी तरह की अनियमितता के कारण गारन्टीकर्ता (ओं) की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा और उस अभाव, शिथिलता या अनियमितता के बावजूद ऋणकर्ता को दी गयी कोई भी राशियां देय और बाकी मानी जायेगी और ऋणकर्ता के नाम/मों या उसके/उनके गठन में किसी परिवर्तन का इस गारन्टी, गारन्टीकर्ता (ओं) के विरूद्ध प्रवर्तनीय रहेगी चाहे ऋणकर्ता तथा उसके लेनदार के बीच की गयी संविदा के रूप में प्रवर्तनीय हो या नहीं। इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि यदि गारन्टीकर्ता (ओं) द्वारा दी गयी गारन्टी प्रवर्तित न की जा सकती हो अथवा किसी भी कारण से यह गारन्टी कानूनी रूप में अप्रवर्तनीय हो जाये, तो इस करार के अन्तर्गत दी गयी गारन्टी, गारन्टीकर्ता (ओं) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में प्रवर्तित कर दी जाये और गारन्टीकर्ता बैंक की किसी भी ऐसी हानि, क्षति, खर्चों या अन्य प्रभारों की क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत है/हैं और वचन देता/देते हैं जो कि बैंक द्वारा ऋणकर्ता से उसके खातों से वसूली और उगाही जानी हो।

12. इस गारन्टी के अन्तर्गत बैंक द्वारा गारन्टीकर्ता (ओं) को इस करार में दिये गये पते पर डाक से भेजा गया कोई नोटिस अथवा लिखित मांग उसे/उन्हें विधिवत दिया गया नोटिस या मांग माना जायेगा जो प्रभावी होगा/होगी, चाहे उसके/उनके घर के पते/पतों में कोई परिवर्तन हो गया हो अथवा उनमें से किसी की मृत्यु हो गयी हो और चाहे उसका नोटिस बैंक को दे दिया गया हो और डाक में डाले जाने के 24 घंटे के बाद ऐसी मांग गारन्टीकर्ता (ओं) द्वारा प्राप्त मानी जायेगी और इस बात का पर्याप्त प्रमाण होगा कि मांग से सम्बन्धित पत्र पर सही पता लिखा गया था और उसे डाक में डाला गया था।

13. गारन्टीकर्ता इस बात से सहमत है/हैं कि जिस कार्यालय में प्रधान देनदार का खाता हो वहां के तत्कालीन प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, बैंक की बहियों में दिये गये प्रधान देनदार के खाते की प्रति, उस समय प्रधान देनदार द्वारा बैंक को किसी भी खाते में देय राशि अथवा इस गारन्टी पर उसके/उनके विरूद्ध शुरू की जायेगी अन्य कार्यवाहियों में उसके/उनके विरूद्ध निर्णायक साक्ष्य होगा।

14. तदनुसार मैं/हम, एतद्द्वारा करार करता हूँ/करते हैं और बैंक द्वारा निम्नलिखित सभी का या किसी एक का प्रकटीकरण के लिए सहमति देता हूँ/देते हैः–

क. मुझसे/हमसे सम्बन्धित सूचना और आंकडा :

ख. बैंक द्वारा मंजूर/मंजूर की जाने वाली और मेरे/हमारे द्वारा प्रत्याभूति दाता के रूप में प्रत्याभूति किसी ऋण सुविधा के सम्बन्ध में मेरे/हमारे दायित्वों से सम्बन्धित सूचना और आंकडा, और

ग. मेरी/हमारी ऐसी बाध्यता के निर्वहन में मेरे/हमारे द्वारा किया गया व्यतिक्रम, यदि कोई हो,

15. इस उधार/ओवरड्राफ्ट को शासित करने वाले नियमों और सामयिक रूप से भरे जाने के पश्चात इन दस्तावेजों की अंतरवस्तुओं को मुझे/हमें उस भाषा में पढकर सुना दिया गया है जिसे मैं/हम जानते हैं तथा मै/हम एतद्द्वारा यह करार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस समय प्रवृत्त और समय–समय पर यथा संशोधित बैंक के नियमों द्वारा मुझे/हमें कोई सूचना दिए बिना वह हम पर आवद्ध होंगे।

हम गारन्टीकर्ताओं ने गारन्टी करार के मर्म को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है एवं ऋणी को व्यक्तिगत ऋण की गारन्टी के संदर्भ में पूर्ण स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के बैंक के साथ निष्पादित किया है।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप इस करार पर गारन्टीकर्ताओं तथा बैंक ने दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी हस्ताक्षर	हस्ताक्षर गारन्टीकर्ता	हस्ताक्षर गारन्टीकर्ता
नाम	नाम	नाम ....
पता	पता	पता ....

वास्ते जिला सहकारी बैंक लि0

शाखा प्रबन्धक

शाखा– ....

LETTER OF HYPOTHECATION

To,
The General Manager/Branch Manager
The District Co-operative Bank Ltd., Ghaziabad
Branch ....

Dear sir,

In consideration of the bank allowing an advance of Rs .... (Rs .... only) for the purchase of articles as below. I hypothecate and charge with the bank the said articles as security for repayment if the said and interest as per terms and conditions agreed to be me. I agree that I will not sell, transfer, mortgage or otherwise dispose off or part with the possession of any of the said articles in any way till, I have repaid the amount of the loan and interest will paid with interest in full.

I agree that the amount of loan and interest will paid by me regularity and punctuality in equal monthly instalment so that the entire loan and interest shall be repaid with in prescribed period. In case I fail to pay three consecutive instalments. It shall be lawful for the Bank to recall the entire outstanding loan and I agree to pay the same not with standing the period of installments fixed as aforesaid.

I also agree in case the amount of the loan is not paid by me on demand in writing by the bank it shall lawful for the bank. and its officer of secratary / chief Executive Officer to call upon us to deliver possession of the hypothecated security from me and call the same by privet contract r otherwise of adjustment of my loan account and I undertake to pay the amount of short fall if any.

In case I default or non-observance of any terms and conditions of the loan and in case the hypothecated articles lost or destroyed or otherwise become unsaleable or unavailable or preparing as a result of theft or otherwise for any reason.

What so ever of the possession of the same is not handed over to the bank as provided above the bank shall have the right to immediately call upon me to repay the entire amount outstanding in the account not with standing the instalments fixed.

<u>Particulars of the Hypothecated articles ate as under :</u>

1- Solar Panel. S.No.
2- Battery. S.No.
3- Inverter. S.No.

Your s Faithfully

Signature of the Borrower,

WITNESS :-

1- --

Signature --

2- Name--

Address --

Signature --

समिति का संस्तुति पत्र

नाम : ....

पिता का नाम : ....

पता :

(अ) स्थायी पता : ....

....

....

(ब) वर्तमान पता : ....

....

....

फोन नं0 / मोबा0 नं0 : ....

स्वीकृत ऋण सीमा : ....

लगा ऋण तिथि (कब से) : ....

बकायेदारी की स्थिति : ....

ऋणी की सामान्य ख्याति : ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदनकर्ता द्वारा सोलर लाईटिंग सिस्टम के ऋण हेतु आवेदन किया गया है। वह समिति का सदस्य है सदस्य से सम्बन्धित उपरोक्त सूचनाऐं सही हैं तथा .... को बैंक द्वारा संचालित सोलर ऊर्जा यूनिट / उपकरण ऋण योजनान्तर्गत मु0 .... का ऋण दिए जाने की संस्तुति की जाती है।

मॉडल नं0 ....

....

आंकिक

सा0 / कि0से0सह0समिति लि0

....

नाम सचिव ....

सा0 / कि0से0सह0समिति लि0

....